फ़ाइल संख्या. 25-27011/161/2023 दिनांक 27.10.2023

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2023 का 9

विषय: समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर (लिंग डिस्फोरिया और लिंग गैर-अनुरूपता सहित) के चिकित्सा मूल्यांकन के लिए चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश।

महानिदेशालय को आम जनता एवं हितधारकों से भारत में समुद्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ट्रांसजेंडर की पात्रता के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। मेडिकल जांच नियम 2000 के अनुसार, मर्चेंट शिपिंग केवल पुरुष और महिला के लिए चिकित्सा मानक प्रदान करता है, ट्रांसजेंडर के लिए चिकित्सा मानक की पात्रता तय करने के लिए अभी तक ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। इस मुद्दे की जांच ट्रांसजेंडर व्यक्ति दिनांक 5.12.2019 (अधिकार संरक्षण अधिनियम) 2019 के आलोक में की गई है।

जबकि एमएस अधिनियम, 1958 की धारा 98 (3) के प्रावधान के तहत, मर्चेंट शिपिंग (मेडिकल परीक्षा) नियम 2000 को 19 जनवरी 2000 को अधिसूचित किया गया था, नियम 4 मेडिकल परीक्षकों के अनुमोदन से संबंधित है।

'ट्रांसजेंडर' शब्द एक ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष से महिला (एमआईएफ) या महिला से पुरुष (एफटीएम) में सामाजिक परिवर्तन चाहता है या उससे गुजरता है, जो हार्मोन थेरेपी और यौन पुनर्मूल्यांकन सर्जरी के माध्यम से एक दैहिक परिवर्तन भी ला सकता है। खासकर, ये ऐसे व्यक्ति हैं, जो अस्थायी या लगातार तरीके से, खुद को जन्म के लिंग से अलग लिंग के साथ पहचानते हैं। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आईसीडी 11वें संशोधन में, इस शब्द को यौन स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे 'लिंग असंगतता जो किसी व्यक्ति के अनुभवी लिंग और निर्दिष्ट लिंग के बीच एक चिह्नित और लगातार असंगतता की विशेषता है। मानसिक विकारों के निदान और सांख्यिकी मैनुअल डीएसएम-5 ने इस नामकरण को *लिंग डिस्फोरिया (जीडी) में संशोधित किया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि निदान की पहचान इसके अनुरूप होने वाली पीड़ा से होती है।

1.2 लिंग डिस्फोरिया को एक दुर्लभ स्थिति माना जाता है। डीएसएम-5 के अनुसार, जन्मजात पुरुषों के लिए व्यापकता 0.005-0.014% और जन्मजात महिलाओं के लिए 0.002-0.003% है। ये दरें दुनिया भर में बहुत भिन्न हैं और इन्हें कम करके आंके जाने की संभावना है, क्योंकि सभी वयस्क जो लिंग पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं वे विशेष क्लीनिकों की तलाश नहीं करते हैं।

1.3 इस स्थिति पर वैज्ञानिक साहित्य ने इन व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए कष्ट के महत्वपूर्ण स्तरों की पुष्टि की है, जिसके कई कारण हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित मनोरोग/मनोवैज्ञानिक की जांच के महत्व को बढ़ाते हैं। वे उच्च स्तर के भावनात्मक तनाव से पीड़ित होते हैं और इसका एक ज्ञात स्रोत उनके जैविक लिंग की अपेक्षित सामाजिक भूमिका और उनके द्वारा पहचाने गए लिंग के बीच अंतर के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप घोर निंदा और सामाजिक अलगाव हो सकता है। इसलिए, इस आबादी में एक कमजोर अल्पसंख्यक शामिल है क्योंकि उन्हें अपने पूरे

जीवन में विभिन्न प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है जिसमें विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। हिंसा और अधिकारों का प्रतिबंध। अत्यधिक संख्या में पर नकारात्मक तनावों के इस समूह को दैनिक आधार पर ध्यान में रख कर, चिकित्सा फिटनेस के लिए समुद्री संस्थानों के मूल्यांकन को और अधिक संरचित करना होगा।

2. चिकित्सा मूल्यांकन

2.1 अनुशंसित अभ्यास या प्रकाशित मानकों के नौमनि मानकों के दिशानिर्देशों या संदर्भों में लिंग डिस्फोरिया/लिंग असंगतता का कोई सीधा संदर्भ नहीं है। इसलिए, किसी प्रकाशित मानक या अनुशंसित अभ्यास के अभाव में, यह परिपत्र ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए फिटनेस के मूल्यांकन के लिए नौमनि पैनल में शामिल मेडिकल परीक्षकों को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

2.2 एक ट्रांसजेंडर आवेदक की मेडिकल फिटनेस का मूल्यांकन **'केस टू केस'** आधार पर किया जाएगा।

2.3 उम्मीदवारों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में निर्धारित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान प्रमाण पत्र के अनुसार अपने लिंग के बारे में घोषणा करनी होगी।

2.4 उम्मीदवार को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) के लिए कोई भी उपचार लेने के संबंध में घोषणा करनी होगी।

2.5 घोषित लिंग के अनुसार अभ्यर्थी की मेडिकल फिटनेस हेतु मेडिकल परीक्षा नियम 2000 के अनुसार जांच की जायेगी तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

2.6 मेडिकल परीक्षण करने वाले ट्रांसजेंडर आवेदक भारत सरकार द्वारा जारी 'पहचान प्रमाण पत्र' (पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर) के अनुसार लिंग के साथ पंजीकरण करेंगे।

2.7 इन प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षाओं को करने वाले नौमनि मेडिकल परीक्षक अपने इलाज करने वाले विशेषज्ञों (एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पुनर्निर्माण सर्जन) से एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जो आवेदक को परीक्षा रिपोर्ट को पूरा करने के लिए लिंग पुनर्विनियोग/पुनर्असाइनमेंट (यदि कोई हो) में सहायता करेगी। हालाँकि, वे 'फिट' मेडिकल प्रमाणपत्र जारी नहीं करेंगे और उचित केंद्र पर विस्तृत मूल्यांकन के लिए उन्हें अस्थायी अनफिट घोषित कर देंगे और फिर आवेदन को नौमनि को भेज देंगे।

2.8 नौमनि में मेडिकल परीक्षक एक अस्थायी अयोग्यता पत्र जारी करेगा और जल्द से जल्द आगे की समीक्षा की सिफारिश करेगा।

2.9 आवेदक का मूल्यांकन निम्नलिखित व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा: -

2.9.1 वे ट्रांसजेंडर आवेदक जो हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं या पिछले पांच वर्षों के भीतर लिंग परिवर्तन सर्जरी करा चुके हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जाएगी। इस परिपत्र में प्रशंसित चेकलिस्ट को परिशिष्ट 'ए' के रूप में रखा गया है।

2.9.2 आवेदक को उपचार करने वाले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें आवेदक द्वारा ली जा रही हार्मोन थेरेपी का विवरण शामिल होगा: जिसमें इसकी अवधि, खुराक और आवृत्ति, थेरेपी में परिवर्तन का रिकॉर्ड, हार्मोन परख रिपोर्ट और कोई भी दस्तावेजी दुष्प्रभाव शामिल होंगे।

2.9.3 यदि आवेदक किसी भी दवा की तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, तो हार्मोन थेरेपी शुरू होने पर या दवा में कोई बदलाव या इसकी खुराक के समायोजन पर, आवेदक को कम से कम तीन महीने के लिए चिकित्सकीय रूप से 'अयोग्य' घोषित कर दिया जाएगा। यह अवधि दुष्प्रभावों के जोखिमों के आधार पर भिन्न हो सकती है जो चिकित्सा मूल्यांकन के विशेषाधिकारों के सुरक्षित अभ्यास को प्रभावित कर सकती है।

2.9.4 जो आवेदक लिंग पुनर्मूल्यांकन के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उन्हें प्रक्रिया के बाद कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए या जब तक पूरी तरह से नैदानिक पुनर्प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा, आवेदक की कार्यात्मक क्षमता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम या हानि नहीं होगी और कोई शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से संबंधित अक्षमता नहीं होगी।

2.9.5 ऊपर सूचीबद्ध शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों का समुद्री चिकित्सा स्वभाव निम्नानुसार होगा: -

सभी आवेदकों की पहचान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में की गई है *(लिंग डिस्फोरिया और लिंग गैर-अनुरूपता सहित)*		
स्थिति	**मूल्यांकन प्रक्रिया**	**स्वभाव**
(अ) पूर्ण लिंग एक विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण पुनर्मूल्यांकन सर्जरी 05 या अधिक वर्ष पहले की गई **या** (ब) 05 या अधिक वर्षों तक हार्मोन थेरेपी से इलाज किया गया	यह कार्य मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक द्वारा वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (डब्ल्यूपीएटीएच) के ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य के देखभाल संस्करण के नवीनतम मानकों के अनुसार किया जाएगा। और लिंग-अनुरूपता न रखने वाले लोग। यदि मूल्यांकन से मनोरोग या मनोवैज्ञानिक असामान्यता का कोई सबूत नहीं मिलता है और हार्मोनल या सर्जिकल थेरेपी के कोई दस्तावेजी दुष्प्रभाव नहीं हैं, तो आवेदक को फिट माना जा सकता है।	फिटनेस का निर्धारण 'केस टू केस' के आधार पर किया जाना है

(सी) 05 वर्ष से कम समय तक हार्मोन थेरेपी से इलाज किया गया **या** **05 वर्ष से भी कम समय पहले** जेंडर असाइनमेंट सर्जरी **या** **सह-मौजूदा** मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का इतिहास **या** मानसिक स्वास्थ्य उपचार का इतिहास जैसे मनोचिकित्सा या जैसे लिंग डिस्फोरिया के अलावा किसी भी स्थिति के लिए दवाएं (यदि आवेदक को कभी मानसिक स्वास्थ्य निदान हुआ हो [मादक द्रव्य उपयोग विकार सहित) या किसी भी समय मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए उपचार प्राप्त हुआ हो, तो जानकारी आवश्यक है, भले ही उपचार अल्पकालिक परामर्श था।	'प्रारंभिक' और साथ ही बाद के नवीनीकरण' चिकित्सा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित की आवश्यकता होगी: - (अ) ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और लिंग गैर-अनुरूप लोगों के स्वास्थ्य के लिए देख भाल संस्करण के "डबल्यूपीएटीएच" नवीनतम मानकों के अनुसार मनोचिकित्सक और/या मनोवैज्ञानिक द्वारा एक पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन। (ब) यदि हार्मोन थेरेपी पर, ऊपर पैरा 2.9.2 में वर्णित अनुसार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का इलाज करने से एक विस्तृत रिपोर्ट। (स) यदि पिछले एक वर्ष के भीतर कोई सर्जरी की गई है, तो इलाज करने वाले सर्जन से एक विस्तृत रिपोर्ट जैसा कि ऊपर पैरा 2.9.4 में वर्णित है।	चिकित्सा मूल्यांकन की वैधता अवधि भी का मूल्यांकन 'केस टू केस' आधार पर किया जाएगा
*हार्मोन थेरेपी से होने वाले दुष्प्रभाव अधिक हैं जिन पर नियमित रूप से ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है।		

इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कप्तान नितिन मुकेश)
नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उप. नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)

परिशिष्ट ए'

<u>एक ट्रांसजेंडर आवेदक के मानसिक स्वास्थ्य की जांच</u>

निम्नलिखित जानकारी एक मनोचिकित्सक और/या एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (डब्ल्यूपीएटीएच) की देखभाल के मानकों के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन से अवगत हो। उसे अधिमानतः लिंग गैर-अनुरूप पहचान और अभिव्यक्तियों और लिंग डिस्फोरिया के मूल्यांकन और उपचार के बारे में जानकार होना चाहिए।

1. **मनोरोग इतिहास.**

(क) वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य निदान या सह-मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ।

(ख) पिछला मानसिक स्वास्थ्य निदान या सह-मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ।

(ग) किसी भी मनोरोग बीमारी या स्थिति के लिए किसी भी बाह्य रोगी उपचार या अस्पताल में भर्ती।

(घ) कभी भी आत्महत्या का प्रयास।

(ङ) मादक द्रव्य उपयोग विकार का कोई इतिहास (उदाहरण के लिए शराब, भांग, उत्तेजक पदार्थ, मतिभ्रम, ओपिओइड) ।

2. **मनोरोग उपचार.**

(दवाओं के बारे में कृपया नाम, खुराक, अवधि और दुष्प्रभाव, यदि कोई हो, प्रदान करें।)

(क) वर्तमान उपयोग।

(ख) पिछला उपयोग।

(ग) किसी भी स्थिति के लिए मनोचिकित्सा (जैसे अवसाद, चिंता, समायोजन विकार आदि)

अन्य उपचार (जैसे कॉगनेटिव थेरेपी, टॉक थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी)।

3. **वर्तमान स्थिति.**

(ए) आवेदक के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर टिप्पणियाँ।

(बी) मनोचिकित्सा (यदि कोई हो) ।

(सी) कोई भी अनुशंसित उपचार (सहायता समूह या सहायता समूह परामर्श शामिल है) ।

4. न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन पर संज्ञानात्मक शिथिलता का कोई सबूत।

5. इस आवेदक के संबंध में कोई अन्य चिंताएं।

****